बुनियाद

अनिल गर्ग कोठीबाजार बैतूल (म.प्र.) 460001, मोबा. 9425636979, 07141-230329
Visit Us : -www.slrac.org

क्रमांक : .....

दिनांक : 30 JUN 201

सुश्री अरूणा रॉय,
सदस्य, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद,
2 मोतीलाल नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली।

विषय :– नक्सलवाद, जनजाति समुदाय और जंगल जमीन को लेकर प्रजातांत्रिक व्यवस्था की लज्जाजनक, दुर्भाग्यपूर्ण कार्यवाहियां ।

संदर्भ :– दो पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई वस्तुस्थिति।

––00––

1950 के बाद शासकीय अभिलेखों से शासकीय भूमि गायब होने का सिलसिला प्रारम्भ हुआ और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के विभाजन तक लाखों हेक्टयर गैरखातें में दर्ज शासकीय भूमि राजस्व अभिलेखों से गायब हो गई, राजस्व अभिलेखों से कम हुई राजस्व भूमि एवं भूमि जैसे संसाधन को लेकर वन और राजस्व विभाग में आपसी तालमेल की कमी को लेकर लिखे दो पत्र संलग्न हैं।

40 लाख हेक्टयर से अधिक शासकीय भूमि के गायब होने पर भारत सरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार चुप्पी साधे हुए हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या महालेखाकार के लिए यह भूमि और इस पर स्थित जंगल आज तक जांच का विषय ही नही बन पाए।

सरकारी, गैर सरकारी संगठन एवं संस्थाओं ने जंगल और जमीन पर काम करने वाले विशेषज्ञों, बुद्धीजीवियों, कार्यकर्ताओं ने भूमि के फर्जी आंकड़ों को आधार बनाकर कार्यपालिका, विधायका, और न्यायपालिका को गुमराह किए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं और आज भी वही भूमिका निभाई जा रही हैं जो अत्यन्त ही आपत्तिजनक, लज्जाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण, निन्दा योग्य हैं।

संलग्न दो पत्रों में दिए गए तथ्यों से संबंधित प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं, जिन्हें हमने राजस्व विभाग एवं वन विभाग से प्राप्त किया, उनका अध्ययन, परीक्षण किया भूमि जैसे संसाधन को लेकर यदि हमें आपकी प्रतिक्रिया मिल सकें तो वह हमारे लिए गौरव का विषय होगी, हमें आगे बढ़ने में बल प्रदान करेगी।

अनिल गर्ग

बुनियाद

अनिल गर्ग कोठीबाजार बैतूल (म.प्र.) 460001, मोबा. 9425636979, 07141–230329

क्रमांक : .....

दिनांक : 24.06.2011

माननीय मनमोहन सिंह जी,
प्रधानमंत्री, भारत सरकार,
7 रेस कोर्स, नई दिल्ली।

विषय :– राजस्व अभिलेखों से लाखों हेक्टयर राजस्व भूमि कम होने की जांच न किया जाना।
संदर्भ :– मध्य प्रदेश शासन (अविभाजित) राजस्व विभाग द्वारा 1965 से 2000 तक के जारी किए गए वर्षवार आंकड़े।

अविभाजित मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के द्वारा 1965 से खातें एवं गैर खातें की भूमि के पृथक–पृथक आंकड़े जारी किए हैं, वर्ष 2000 तक जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राजस्व अभिलेखों से लाखों हेक्टयर भूमि कम होना बताया गया हैं।

भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(2) में राजस्व भूमि की प्रयोजन में परिवर्तन का अधिकार दिया गया हैं संहिता में मदों के परिवर्तन का या भूमि के राजस्व अभिलेखों से विलोपित किए जाने का कोई अधिकार नही दिया गया।

राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवेदित आंकड़े

वर्ष	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	गैरखातें का क्षेत्रफल	खातें का रकबा	कुल रकबा
1965	44234011	15361925	21284268	36646193
2000	44349016	10322243	22454333	32776576
		– 5039682	+ 1170065	– 3869617

यह आंकड़े सांख्यिकी विभाग के द्वारा राज्य की सांख्यिकी में लगातार वर्षवार प्रकाशित होते आए हैं। लाखों हेक्टयर राजस्व भूमि राजस्व अभिलेखों से कम हुई लेकिन इसकी जांच आज तक राजस्व विभाग ने प्रारम्भ कर वैधानिकता के अनुसार कार्यवाही किए जाने की दिशा में कारगार कदम नही उठाए हैं।

वर्ष 2000 के पूर्व अविभाजित सीधी, शहडोल एवं सरगुजा जिले में राजस्व अभिलेख से शासकीय भूमि को कम किए जाने की कार्यवाही के दौरान ही हजारों हेक्टयर निजी भूमि को भी शासकीय अभिलेखों से बिना किसी अवार्ड के, बिना कोई मुआवजा भुगतान किए ही कम कर दिया गया। मेरी जानकारी के अनुसार इस तरह से वर्ष 2000 के पूर्व अविभाजित मध्य प्रदेश के अविभाजित लगभग 19 जिलों के राजस्व अभिलेखों से लाखों हेक्टयर शासकीय भूमि एवं निजी भूमि को राजस्व अभिलेखों से कम कर दिया गया।

Application

उन जिलों की सूची जहां गैरखाते में दर्ज जमीनों को वन भूमि मानकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज राजस्व भूमि से कम कर दिया

क्र.	जिले का नाम	गैर खाते में दर्ज रकबा		गैर खातें एवं जमा का योग	
		1980 में	2000 में	1980 में	2000 में
1	सरगुजा	1157176	628627	1814034	1319606
2	बालाघाट	320121	100549	658608	430286
3	छिन्दवाड़ा	425384	210192	1013405	796745
4	मंडला	239820	150019	827657	727765
5	नरसिंहपुर	127275	57671	447666	383094
6	पन्ना	355876	166901	640498	454064
7	छतरपुर	363595	159006	863068	680394
8	रीवा	153102	81548	628745	561768
9	सीधी	646541	260926	1039194	677164
10	सतना	295719	99906	742432	538947
11	शहडोल	767180	140832	1386006	844958
12	धार	293459	173761	819541	701441
13	झाबुआ	322345	201784	679281	556001
14	मंदसौर	417183	163202	946438	519010
15	मुरैना	746236	387961	1168336	834849
16	ग्वालियर	243043	114447	521887	346781
17	शिवपुरी	532408	202051	1017346	705146
18	गुना	495177	305324	1098160	946037
19	सिहोर	252010	86984	647007	492323

उपरोक्त जिलों के राजस्व अभिलेखों से जो जमीनें विलोपित की गई हैं उनमें से कुछ जमीनों को तो वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) के तहत राजपत्र में अधिसूचित कर बिना किसी वैधानिक आधार के ही कार्यआयोजना में शामिल कर उनका वानिकी नियंत्रण, प्रबन्धन एवं विदोहन प्रारम्भ कर दिया। लेकिन बहुत सी जमीनों को 1980 के पहले ही धारा 34अ के तहत राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कर निर्वनीकृत बताया जाकर राजस्व विभाग को अन्तरित बताते हुए वन विभाग के अभिलेखों, वर्किंग प्लान से कम कर दिया। इस तरह की लाखों हेक्टयर भूमि वर्तमान में किसी भी शासकीय अभिलेख में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज ही नही हैं।

वन अधिकार कानून 2006 में ऐतिहासिक अन्याय होना स्वीकार किया हैं लेकिन इस कानून के बाद भी जिन जमीनों को राजस्व विभाग ने राजस्व अभिलेखों से कम कर दिया उनमें से जिन जमीनों को वन विभाग ने निर्वनीकृत कर दिया उन पर काबिजों को वन अधिकार पत्र दिए जाने

की कोई कार्यवाही नही की जा सकी क्योंकि इन जमीनों का कोई अभिलेख राजस्व विभाग या वन विभाग के पास नही हैं।

याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को दिए गए आदेश के पहले ही राजस्व विभाग ने जमीनों को कम कर दिया वन विभाग ने उसके पहले ही उन्हें निर्वनीकृत कर दिया था लेकिन आज तक दोनों ही विभाग राज्य के उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को इस गंभीर वैधानिक विसंगतियों के बारे में कोई जानकारी नही दे पाए। राजस्व अभिलेखों से कम की गई यह जमीन याचिका क्रमांक 202/95 में की गई व्याख्या या परिभाषा के दायरे में भी नही आती क्योंकि वर्तमान में वह किसी राजस्व अभिलेख में "जंगल मद में दर्ज" नही हैं।

शासकीय अभिलेखों से गायब इन लाखों हेक्टयर जमीनों पर जो काबिज हैं या उस जमीन के आसपास जो भूमिहीन निवास करते हैं उन्हें यह जमीन कृषि कार्य हेतु आवंटित की जा सकती हैं, बल्कि इस जमीन को ऐसे लोगों को आवंटित कर दिए जाने के भू–राजस्व संहिता 1959 में 1966 से लेकर लगातार अधिनियम बनाए जाते रहे हैं।

प्रजातांत्रिक व्यवस्था से इन जमीनों को लेकर हमारे कुछ सवाल भी हैं :–

1. भू–राजस्व संहिता 1959 के किस प्रावधान के तहत राजस्व अभिलेखों से शासकीय भूमि या निजी भूमि को कम किया गया हैं।
2. राजस्व अभिलेखों से कम की गई भूमि को राजस्व विभाग ने कब वन विभाग को सौंपा।
3. वन विभाग के द्वारा राजपत्र में निर्वनीकरण की 1980 के पहले ही अधिसूचना प्रकाशित कर दिए जाने के बाद ऐसी जमीनों को राजस्व अभिलेखों से कम किए जाने का क्या कारण रहा हैं ऐसा किस कानून नियम के तहत किया गया।
4. वन विभाग के द्वारा 1980 के पहले ही निर्वनीकृत कर दी गई जमीनों को राजस्व विभाग ने आज तक राजस्व अभिलेखों में शामिल किए जाने हेतु बन्दोबस्त की कार्यवाही प्रारम्भ क्यों नही की हैं।
5. वन विभाग के द्वारा 1980 के पहले निर्वनीकृत राजस्व विभाग द्वारा 1980 के बाद राजस्व अभिलेखों से कम की गई इन भूमियों को किस कानून, किस नियम किस न्यायालीन आदेश के तहत वन संरक्षण कानून 1980 या याचिका क्रमांक 202/95 के दायरे की भूमि माना जाता रहा हैं।
6. लाखों हेक्टयर सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए राजस्व अभिलेखों में 1980 के पहले दर्ज रही इन भूमियों की सही स्थिति से आज तक प्रजातांत्रिक व्यवस्था कार्यपालिका, विधायका और न्यायपालिका को अवगत क्यों नही करवाया गया।
7. शासकीय अभिलेखों से गायब इन लाखों हेक्टयर जमीनों का देशवासियों के हित में जनजाति समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय के हित में कभी उपयोग संभव हो पाएगा या नही।

माननीय महोदय भूमि जैसे संसाधन को लेकर इन स्थितियों पर व्यापकता एवं सूक्ष्मता के साथ विचार की याचना हैं।

अनिल गर्ग

बुनियाद

अनिल गर्ग कोठीबाजार बैतूल (म.प्र.) 460001, मोबा. 9425636979, 07141–230329

क्रमांक : .....

दिनांक : 24.06.2011

माननीय मनमोहन सिंह जी,
प्रधानमंत्री, भारत सरकार,
7 रेस कोर्स, नई दिल्ली।

विषय :– भूमि जैसे संसाधन को लेकर राजस्व विभाग एवं वन विभाग में तालमेल की कमी से हो रहे ऐतिहासिक अन्याय।

—00—

देश की संसद ने वन अधिकार कानून 2006 की प्रस्तावना में ऐतिहासिक अन्याय होना स्वीकार कर लिया, याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को देश की सर्वोच्च अदालत ने वन और वन भूमि की व्याख्या एवं परिभाषा भी कर दी।

जंगल और जमीन को लेकर प्रजातांत्रिक व्यवस्था की असफलता, खोखलापन और उससे उत्पन्न अराजकता के लिए जनजाति समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय जिम्मेदार नही हैं, लेकिन यही वर्ग दुष्परिणामों से जूझ रहा हैं।

हम यहां एक उदाहरण आपकी जानकारी में ला रहे हैं जो असफलता, खोखलेपन एवं मिलजुल कर किए गए ऐतिहासिक अन्याय के तो प्रमाण है ही, आजादी के बाद इस कहावत को भी चरितार्थ कर रहे हैं "आजादी हमकों मिली जब थी आधी रात, सबेरा तो हुआ ही नही है अचरज की बात"

एक ही उदाहरण बैतूल जिले का काफी हैं

1. वन विभाग ने 1958 में भा.व.अ. 1927 की धारा 29 के तहत राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के तहत मालगुजारों से अर्जित की गई "जंगल मद" की जमीनों को संरक्षित वन भूमि घोषित किया लेकिन 1960 से प्रारम्भ किए गए सर्वे में मालगुजार ग्रामों की जंगल मद एवं गैर जंगल मद की जमीनों सहित रैय्यतवारी ग्रामों की गैर वनभूमि को शामिल कर लिया यह समस्त भूमि ग्रामीणों के सार्वजनिक, सामुदायिक प्रयोजनों के लिए आजादी के पहले और आजादी के बाद दर्ज रही हैं।
2. वन विभाग ने 1970 तक राजपत्र में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना प्रकाशित कर बैतूल जिले के 482 वनखण्डों में 71680 हेक्टयर भूमि

अधिसूचित कर दी जिसमें 85 हेक्टयर निजी भूमि भी शामिल हैं इन वनखण्डों की जांच वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल, मुलताई एवं भैंसदेही के पास लम्बित हैं।

3. 482 वनखण्डों में अधिसूचित 71680 हेक्टयर जमीन जिले के राजस्व अभिलेखों में लगातार भू–राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 में बताई गई दखल रहित जमीन के रूप में दर्ज हैं, इन्ही जमीनों को वन विभाग ने वर्किंग प्लान में सीमांकित संरक्षित वन भूमि के रूप में शामिल कर उस पर अपना नियंत्रण कायम कर उसका प्रबन्धन और वनोपज का विदोहन भी वन विभाग के द्वारा ही किया जा रहा हैं।

4. 71680 हेक्टयर दखल रहित भूमि को राजस्व विभाग एवं वन विभाग अपने–अपने अभिलेखों में अपने–अपने विभाग की भूमि के रूप में दर्ज करते आए हैं, दर्ज कर रहे हैं यह स्थिति अविभाजित मध्य प्रदेश के बहुत से जिलों में बनी हुई हैं जिसकी कुछ जानकारी हम यहां उपलब्ध करवा रहे हैं।

उन जिलों की सूची जहां गैरखातें में दर्ज जमीन को पी.एफ. ब्लॉक के रूप में वर्किंग प्लान में वन विभाग ने दर्ज कर लिया है

क्र.	जिले का नाम	गैर खाते में दर्ज रकबा		गैर खातें एवं जमा का योग	
		1980 में	2000 में	1980 में	2000 में
1	दुर्ग	178327	181270	795940	795269
2	राजनांदगांव	268009	291818	831479	918826
3	रायगढ़	409695	421201	1016303	1034090
4	सागर	251243	238294	831552	831145
5	दमोह	1920103	194313	524507	526511
6	टीकमगढ़	177293	155779	462701	464499
7	इन्दौर	68600	67505	353869	353881
8	प.निमाड़	293484	318059	979329	1019121
9	पू.निमाड़	136785	140192	638738	640290
10	उज्जैन	78661	79131	607388	606725
11	देवास	247674	69429	496258	495270
12	दतिया	57382	41629	203481	245564
13	रायसेन	202600	193457	634193	631745
14	विदिशा	209552	190907	730197	730197
15	बैतूल	199329	209376	706285	724771
16	होशंगाबाद	211687	209746	745842	745042
17	शाजापुर	132133	118760	617804	611467

5. उपरोक्त जिलों में लाखों हेक्टयर जमीन को राजस्व विभाग राजस्व अभिलेखों में राजस्व भूमि बता रहा हैं उन्ही जमीनों को वन विभाग वन अभिलेखों में वन भूमि बता रहा हैं और दोनों ही विभाग अपनी अपनी कार्यवाही को वैधानिक बताए जाने में ही लगे हुए हैं।

6. देश के उच्चतम न्यायालय के द्वारा याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसम्बर 1996 को वन और वन भूमि की व्याख्या एव परिभाषा कर दी जिसके बाद वन विभाग ने वन विभाग के अभिलेखों, वर्किंग प्लान, उनकी ब्लॉक हिस्ट्री, सर्वे डिमारकेशन रिपोर्ट का अवलोकन किए बिना, भूमियों का मिलान किए बिना ही वनखण्डों के रूप में वर्किंग प्लान में दर्ज इन समस्त जमीनों को न्यायालय द्वारा परिभाषित अतिरिक्त राजस्व भूमि मानकर पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा कर दिया।

7. वन संरक्षण कानून 1980 लागू होने के बाद वन विभाग ने इन्ही संरक्षित वन भूमि, को गैरवनभूमि मानकर वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए राजस्व विभाग से प्राप्त करना बताकर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत राजपत्र में अधिसूचित कर शासन को अरबों करोड़ों रूपयों की हानि भी पहुंचाई जिसका मिलान वह 12 दिसम्बर 1996 को दिए गए न्यायालीन आदेश के बाद से आज तक नही कर पाया।

8. भारतीय संविधान में किए गए 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया संविधान में 11वीं अनुसूची लगाई गई पंचायत उपबन्ध (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996, वन अधिकार कानून 2006 के समस्त प्रावधानों को वन विभाग ने वर्किंग प्लान में शामिल वनखण्डों पर लागू किए जाने, माने जाने से इन्कार कर एक समानान्तर व्यवस्था कायम कर रखी हैं।

उपरोक्त तथ्य एवं उदाहरण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि हमने देश की आजादी के बाद सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दर्ज रहे संसाधनों को लेकर लेकर समाज पर किस तरह के अन्याय किए हैं, वन संरक्षण कानून 1980 लागू होने के बाद हमने किस तरह से इस कानून का दुरूपयोग कर समाज को प्रताड़ित किया हैं, याचिका क्रमांक 202/95 में दिनांक 12 दिसम्बर 1996 को की गई व्याख्या एवं परिभाषा का कितने व्यापक स्तर पर दुरूपयोग किया हैं। भारतीय संविधान और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के द्वारा बनाए गए कानूनों को कितने व्यापक स्तर पर माने जाने से इन्कार किया हैं।

जंगल, जमीन, प्रजातंत्र, संविधान, कानून और न्याय से जुड़ें इस पूरे विषय पर मध्य प्रदेश शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन को गंभीरता से विचार विमर्श कर स्पष्ट रणनीति बनाकर भारत सरकार के सामने हर तथ्य को रख निराकरण की दिशा निर्धारित करनी होगी यही हमारी आपसे याचना हैं।

अनिल गर्ग